न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा
रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 10/17 तारीख रजू– 20/04/2017

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर (लैण्ड होल्डर) ——प्रार्थी

बनाम

1. आशाराम पुत्र सोन्या,जाति मीना निवासी दोबडा खुर्द
2. सुरज्ञान पुत्र सोन्या,जाति मीना निवासी दोबडा खुर्द
3. सांवल्याराम पुत्र फतेहलालु,जाति मीना निवासी दोबडा खुर्द
4. हनुमान पुत्र रामफूल,जाति मीना निवासी दोबडा खुर्द
5. मोहनलाल पुत्र हरिबल्लभ,जाति ब्राह्मण निवासी लोरवाडा
6. रूकमणी पत्नि हरिबल्लभ,जाति ब्राह्मण निवासी लोरवाडा
7. दिनेश कुमार पुत्र हरिबल्लभ,जाति ब्राह्मण निवासी लोरवाडा
8. जगदीश प्रसाद पुत्र शांतिलाल,जाति ब्राह्मण निवासी लोरवाडा
9. सत्यनारायण पुत्र शांतिलाल,जाति ब्राह्मण निवासी लोरवाडा
10. मकसूद खान पुत्र बाज खॉ,जाति मुसलमान
11. बैंक ऑफ बडौदा–शाखा सूरवाल
12. भारतीय स्टेट बैंक टाउन एरिया सवाई माधोपुर ——अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 6.8.18

तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से यह रेफरेंस इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 14 विरवा, व ख. न. 69 रकबा 6 बीघा किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा माफी मंदिर लक्ष्मीनारायण जी वाके देह हाजा जहतमाम– पुजारी सुन्दर बल्द ऊंकार कोम ब्राह्मण सा0 लोरवाडा जागीर 2/3 खालसा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि माफी होने से बिना नामान्तरकण के खोले ही भू–प्रबंध खतौनी ग्राम सुरंग संवत 2004 सं0 2023 के खाता सं0 15के ख0न0 15 रकबा 10 बीघा 14

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बिस्वा, ख0नं071 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा सुन्दरा वल्द उंकार कोम ब्राह्मण सा. लोरवाडा के नाम अंकित कर दिये गये है। जो विधि के विपरीत है ख0नं0 14 व 69 व इसके बाद 15 व 71 का मिलान क्षैत्रफल सं0 2004 से 2023 नवीन खसरा नं0 60,61,62,63, व 190 अंकित हो गये है। जमाबंदी के अनुसार खातेदार के वारिसानं का नामान्तरकरण स0 13 दिनांक 22.01.1972 से विपक्षीगण के नाम जमाबंदी सं0 2024 से 2027 मे अंकित हो गया तथा नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 24.03.2000 से जमाबंदी सं0 2041 से 2044 मे अंकित हो गया है। उक्त आराजी का विक्रय होकर नामान्तरण सं0 4 दिनांक 21.12.1998 से विपक्षीगण के नाम जमाबंदी सं0 2041 सं0 2044 मे अंकित हो गया है। नवीन भू–प्रबंध से बनी जमाबंदी ग्राम सुरंग संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 2, 20 पर आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 62, 63 रकबा 2.72हैक्टेयर व 190 रकबा 1.52 हैक्टेयर. पर खातेदार उक्त विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। तथा प्रार्थना पत्र मे जीवित पक्षकार व उसके वारिसान को ही पक्षकार बनाया गया है। उक्तानुसार माफी मन्दिर से बिना कोई नामान्तकरण खतौनी संवत् 2004 से 2023 से नाम हटाकर खाताधारक का नाम अंकित कर दिया। इस संबंध में राज्य सरकार के प्रपत्र संख्याः– एफ/जी/ग/स/क 168 दिनांक 12–06–1969 व 13–11–1969 तथा 14–12–1975 एवम् 8757–82 दिनांक 18. 10.1979 द्वारा निर्देश दिये गए है कि जिन मन्दिर व धार्मिक स्थानों की भूमियों को अवैध स्थानान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पूजारियों/ सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया हैं तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट् 1956 की धारा 82 के तहत् आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं। अतः आराजीयात के खातेदारान एवं उसके बाद विकय के नामांतरकरण एवम् राजस्व रिकोर्ड में अंकित सीमा के इन्द्राजात निरस्त कर भूमि मूर्ति के नाम जमाबन्दी में अंकन कराने का आदेश प्रदान करें।

2. अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय् पक्ष सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स मीमों में प्रस्तुत तथ्यों का ब्यौरा देते हुए निवेदन किया वादग्रस्त आराजी सम्वत् नम्बर हदवस्त् ग्राम सुरंग में खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं0 69 रकबा 6 बीघा मुवाफे मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाके देह हाजा वहत्माम पुजारी सुन्दर बल्द उंकार कोम ब्राम्हण साकिन लोरवाडा जागिर 2/3 खालसा 1/3 दर्ज है। जिसे खतौनी बन्दोबस्त मोजा सुरंग सवंत् 2004 लगायत 2022 में बिना आदेश व नामान्तकरण खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीघा, 14 बिस्वा एवम् खसरा नं0 71 रकबा 6 बीधा सुन्दरा बल्द उंकार कोम ब्राम्हण के नाम खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया इस प्रकार किसी सक्षम आदेश के बिना मंदिर का नाम हटाकर उसके स्थान पर सुन्दरा बल्द उंकार कोम ब्राहाम्ण के नाम बादग्रस्त आराजी दर्ज कर दी जो स्थापित न्याय सिद्वान्तों के खिलाफ एवम् अधिनियम 1955 की धारा 46 के विरूद्व होने से पुनः अंकन जो अब सुन्दरा के वारीसान व केतागण के नाम है निरस्त करते हुऐ वादग्रस्त आराजी पुनः मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम अंकित करा जाए उन्होंने आगे बताया कि सुन्दरा मन्दिर की जमीन काश्त करता था, वह मन्दिर की तरफ से ही काश्तकार था एवं ऐसे काश्तकारों को मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो जाते। मन्दिर शाश्वत नाबालिग है एवं नाबालिग स्वंय काश्त नही कर सकता तथा उन्हें भरण–पोषण के लिए मन्दिर की जमीन किसी को तो काश्त पर दी जाती थी। सुन्दरा यह काश्त करता था, परन्तु भू–प्रबन्ध की भूल से वाद्ग्रस्त आराजी मन्दिर के बजाय सुन्दरा के नाम अंकित कर कानून के खिलाफ कार्य किया है, जिसे दुरूस्त करते हुए सुन्दरा व वर्तमान में उसके वारिसान, जो अप्रार्थीगण व केतागण है, का राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ कर भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु रेफरेन्स स्वीकार की जावे।

4. बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी पक्ष तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर एवं गलत तथ्य पेश किये है। सरकार पक्ष जिस नम्बर हदबस्त में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का अंकन होने का तर्क देते है।उस मिसल हदवस्त में खसरा नं0 14 रकबा 10 बीघा, 14 बिस्वा, खसरा नं0 69 रकबा 6 बीघा खुदकाश्त पुजारी सुन्दरा बल्द उंकार कोम ब्राहाम्ण साकिन देह खुदकाश्त दर्ज है जबकि खतौनी बन्दोबस्त् 2004 से 2022 के कॉलम नं. 4 नाम खातेदार मयं बल्दियत् कोमियत् व सकुनत में सुन्दरा बल्द उंकार कोम ब्राम्हण के नाम खसरा नं0 15 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 71 रकबा 6 बीघा भूमि दर्ज है। इसी तरह संवत् 2008 लगायत 23 मे खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम नं03 में नाम थोक व पट्टी मय नाम पटेलान में मिरजाजी दर्ज

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है तथा कॉलम नं04 में सुन्दर लाल बल्द उकार कोम ब्राम्हण के नाम खसरा नं0 15 रकबा 10 बीघा 14 बीस्वा व खसरा नं0 71रकबा 6 बीघा दर्ज रिकोर्ड है इसी अनुरूप संवत् 2024–27 मे सुन्दरा वारिसान के नाम तथा संवत् 2041 से 44 में भी सुन्दरा के वारिसान व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

5. विध्दान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी तर्क दिया कि नंम्बर हदबस्त जिसके आधार पर यह रेफरेन्स दायर किया गया हैं उसमें खसरा नं0 14 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 69 रकबा 6 बीघा मुवाफे मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी वाके देह हाजा बहतमाम पुजारी सुन्दर लाल उंकार ब्राम्हण के नाम खुदकाश्त दर्ज है । जबकि तहसीलदार की और से पेश अन्य सभी प्रस्तुत जमाबन्दियों में सुन्दरा बल्द ऊंकार ब्राहम्ण सा.देह के नाम खसरा नं0 15 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 71 रकबा 6 बीधा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं। इस प्रकार नम्बर हदबस्त में खसरा नं. 14 व 69 दर्ज हैं जबकि जमाबंदियों में खसरा नं. 15 व 71 दर्ज होने से वादग्रस्त आराजीयात के नम्बरों में भिन्नता हैं। तहसीलदार को नम्बर हदबस्त मे दर्ज खसरा नं. 14 व 69 की हीं जमाबंदियां पेश करनी चाहियें। तहसीलदार की और से पेश रेफरेंस का मूल आधारभूत दस्तावेज नम्बर हदबस्त मे दर्ज खसरा नं. 14 व 69 है। जबकि जमाबंदीयों में खसरा नं. 15 व 71 दर्ज है इस प्रकार नम्बर हदबस्त में दर्ज वादग्रस्त आराजीयात व जमाबंदियों मे दर्ज वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नम्बरान अलग अलग होने से रेफरेंस के आधारभूत दस्तावेज नम्बर हदबस्त की पुष्टि नहीं होती हैं अतः रेफरेंस गलत तथ्यों पर पेश किया हैं जो खारिज किया जावें।

6. विध्दान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी तर्क दिया दिया कि सुन्दरा बल्द ओकार बतौर खातेदार खतोनी बन्दोबस्त संवत 2004 लगायत 2022 मे हीं ख.नं.15 रकबा 10 बीधा 14 विस्वा व खसरा नं. 71 रकबा 6 बीधा वाके सुरंग का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज था इस प्रकार सुन्दरा अधिनियम 1955 के प्रभाव मे आने से पहले भी खातेदार काश्तकार दर्ज था व बाद मे भी काश्तकार हीं दर्ज रहा हैं बन्दोबस्त विभाग ने कोई नई ऐन्ट्री रिकोर्ड मे नहीं की हैं। यह भी तर्क दिया कि यदि यह भी मान लिया जावे कि वादग्रस्त आराजी मुआफी मंदिर लक्ष्मीनारायण जी की है तो भी सुन्दरा राजस्थान जमीनदारी रिस्तेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जबकि मंदिर के नाम वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा बन्दोबस्त रिकोर्ड में खुद काश्त कभी दर्ज नही रही। इसलिये यह भी नहीं माना जा सकता कि सुन्दरा मंदिर की तरफ से काश्त कर रहा था बल्कि सुन्दरा इस आराजी का खातेदार काश्तकार प्रारम्भ से था। अपने अभिकथन की पुष्टि में अप्रार्थीयान की ओर से RRD-2013 पेज 45 सरकार Vs. LRs. of Lalu व अन्य पेश किया।

7. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा कानून का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विवेचन व विश्लेषण किया।

8. प्रार्थी तहसीलदार की ओर से नम्बर हदवस्त सं0 50 ग्राम सुरंग का आधार बनाकर यह रेफरेंस दायर किया है। जिसमें खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 69 रकबा 6 बीघा – मुआफे मंदिर लक्ष्मीनारायण जी वाकेदार हाजा बहतमाम पुजारी सुन्दर बल्द ऊंकार कोम ब्राहाम्ण सा0 लोरवाडा– जागीर 2/3 व खालसा 1/3 दर्ज है। कॉलम संख्या 4 में खुद काश्त दर्ज है। जबकि खतोनी बन्दोबस्त मौजा सुरंग संवत 2004 से 2022 में खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 71 रकबा 6 बीघा सुन्दरा बल्द औंकार कोम ब्रहाम्ण के नाम खातेदार दर्ज है। इस ही भांति अन्य जमाबंदियो में भी सुन्दरा व अन्य अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में खसरा नम्बर 15 व 71 ही दर्ज है। कालान्तर मे उक्त आराजी के नवीन खसरा नं. 60,61,62,63,व190बनाये गये। इस प्रकार नम्बर हदवस्त व जमाबंदीयों के खसरा नम्बर अलग अलग हैं। नम्बर हदबस्त व जमाबंदियों में दर्ज खसरा नम्बरान अलग–अलग होने से रेफरेंस ही त्रुटिपूर्ण है। उक्तानुसार प्रस्तुत जमाबंदी खतोनी बन्दोबस्त सं. 2004 ल.2022 मे ख.नं.15 रकबा 10 बीघा 14 विस्वा व खसरा नं. 71 रकबा 6 बीघा वाके सुरंग जो प्रथम रिकोर्ड है में सुन्दरा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं मंदिर माफी की इस आराजी मे खुद काश्तकार का अंकन कही नही आया है। वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 71 रकबा 6 बीघा व कालान्तर मे नये बने खसरा नम्बरान पर सुन्दरा के वारिसान व समस्त अप्रार्थीगण खातेदार है। विध्दान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नजीर का हमने ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया। माननीय मण्डल ने RRD 2013 पेज 45 सरकार Vs LRs. of Lalu मे अधिनियम की निम्न प्रकार विवेचना की है।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

9. अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार माफी की सारी आराजियां रिज्यूम की जाकर राजस्थान सरकार में निहित हो जायेंगी एवं धारा 10 में खुदकाश्त की भूमि पर खुदकाश्त खातेदार को खातेदारी प्रदान हो जायेगी, जो नाम बतौर खुदकाश्त काश्तकार उस समय दर्ज है, वह अंकन बरकरार रहेगा व उन्हें खातेदारी काश्तकार माना जायेगा। ये प्रावधान निम्नानुसार उद्वरत किये जा रहे है।

Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952 , Sec. 9 & 10

Sec. 9 : Khatedari rights in Jagir Lands - Every tenant in the Jagir land who at the commencement of this Act is entered in the revenue records as the Khatedar, Pattedar, Khadamdar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable right in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a Khatedar tenant in respect of such land.

Sec.10 Khatedari right in Khudkasht land - As from the date of resumption of any jagir land and khudkhast land of a jagir land and khudkhast land of a jagirdar shall be deemed to be held by the jargidar as a tenant and shall be asscessees at the village rate.

10. हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी की खुदकाश्त भूमि दर्ज नही है एवं एक मात्र काश्तकार सुन्दरा पुत्र ऊंकार का नाम अंकित है, जिसे स्वतः खातेदारी अधिकार अधिनियम 1955 की धारा 15 में प्राप्त हो जाते है। दिनांक 24.05.2007 को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार ने एक पत्र जारी किया है, जिसके पैरा नम्बर 3 व 4 सुसंगत है, जो इस प्रकार है :–

(3) "मन्दिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुऐ खातेदारी निरन्त बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नही है।"

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(4) ''ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो मन्दिर माफी की थी, के सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 मे प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे, वे निरन्तर खातेदार बने रहेगें। धारा 9 निम्न प्रकार है –

''जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदारी, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में, जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।''

11. इसी निर्देशों को राजस्व मण्डल ने भी अपने पत्र दिनांक 06.11.2011 के द्वारा सन्दर्भित करते हुए जारी किया है, जिसका सार यह है कि :–

''मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि, जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगे, ऐसी भूमियों के पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसी व्यक्तियों का नाम निरंतर खातेदारी के रूप में दर्ज रहेगा।''

12. उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि प्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेश रेफरेंस नम्बर हदबस्त स.50 ग्राम सुरंग को आधार बनाकर पेश किया है। जिसमे खसरा नम्बर 14 व 69 दर्ज है। कोई ऐसा रिकोर्ड पेश नही किया कि खसरा नम्बर 14 व 69 से कालान्तर मे ख0नं0 15 व 71 बने हो। साथ ही जो खतौनी बन्दोबस्त पेश की है वह खसरा नम्बर 15 व 71 की पेश की है। इस प्रकार नम्बर हदबस्त में दर्ज ख0नं0 व खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज खसरा नम्बरान अलग–अलग होने से यह रेफरेंस त्रुटिपूर्ण है। साथ हीं खतोनी बन्दोबस्त सं. 2004 ल. 2022 मौजा सुरंग के खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीधा 14 विस्वा व खसरा नं. 71 रकबा 6 बीधा वाकं सुरंग तहसील सवाई माधोपुर के मुताबिक यह आराजी सुन्दरा बल्द उंकार की खातेदारी मे दर्ज होना प्रमाणित हैं जो प्रथम रिकोर्ड हैं। उक्त अधिनियम प्रभाव मे आने से पहले व बाद मे

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आदिनांक निरंतर भी सुन्दरा बल्द उंकार के वारिसान व केतागण की हीं खातेदारी मे दर्ज होना सिध्द है । कभी भी मंदिर मुआफी लक्ष्मीनारायण जी के नाम आराजीयात मुतनाजा दर्ज होना सिध्द नही होता। कालान्तर मे उक्त आराजी के नवीन खसरा नं. 60,61,62,63, व 190 बने जो अप्रार्थी सुन्दरा के वारिसान एवं केतागण अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज हैं । अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत नजीर मौजूदा प्रकरण में हूबहू चस्पा होती है। जिससे मे सहमत हूँ।

अतः न्यायिक संदर्भो, अधिनियम 1955 की धारा 15, अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10, राजस्व विभाग, राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र आदि को ध्यान में रखते हुऐ प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर हस्तगत रेफरेंस बलहीन, आधारहीन, सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.8.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( महेन्द्र लोढ़ा )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर